

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 60/2017

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड यूनिट पाली सीमेन्ट वर्क्स, जैतारण जरिये सर्वाधिकार श्री वरिन्द्र सिंह पुत्र सरदार मोहनसिंह जाति सैनी हाल डिप्टी जनरल मैनेजर (युनिट पाली सीमेन्ट वर्क्स)		1. इस्माइल पुत्र हंजा कौम मेरात, निवासी ग्राम टूंकड़ा तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

श्री मोहम्मद शरीफ काजी, अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :- 18/3/19

प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से बहस एकतरफा सूनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान विभाग ने लीज प्रदान की है, जिसके लीज संख्या 29/99 क्षेत्रफल 689.76 हैक्टेयर है। उक्त लीज की अवधि 50 वर्ष है, जो दिनांक 19.03.2015 से प्रभावी होकर वर्तमान में कार्यशील है। लीजडीड के अनुसार प्रार्थी को ग्राम मोहराई, दागला, आसरलाई, निम्बेडा खुर्द, टूंकड़ा व मेसिया तहसील जैतारण एवं तहसील रायपुर के अन्य गांवों में भी अवस्थित भूमि, जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है, के खातेदारान से अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रक्रियाधीन है। ग्राम टूंकड़ा के खसरा नम्बर 216/1 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र से चारों ओर घिरा हुआ है तथा लीज भूमि के मध्य स्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुषंगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी ईकाई अपने उद्योग को नहीं चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थीगण की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी

जिला कलेक्टर, पाली

ईकाई तत्पर है। अतः उपरोक्त भूमि का मुआवजा निर्धारित करावे एवं भूमि प्रार्थी ईकाई को खनन एवं समनुषंगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध करवावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को माईनिंग लीज प्राप्त है। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी की माईनिंग लीज भूमि के मध्य ग्राम टूंकड़ा के खसरा नम्बर 216/1 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोगम भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है, जो लीज क्षेत्र से घिरी हुई है, जिसकी उप पंजीयक जैतारण से वर्तमान डी.एल.सी. दर दिनांक 14.03.2019 को प्राप्त की गई। जिसके अनुसार वर्तमान डी0एल0सी0 दर 1,18,089/- रूपये प्रति बीघा है एवं प्रश्नगत भूमि नगरपालिका क्षेत्र से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तहसीलदार जैतारण की मौका जांच रिपोर्ट में उक्त आराजियात पर स्थित पेड पौधों की संख्या एवं कीमत अंकित है। खनन एवं समनुषंगी कार्यों हेतु प्रार्थी ईकाई को उक्त भूमि की आवश्यकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (4) के अनुसार खनिज सम्पदा के दोहन से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को सुना जाकर राज्य सरकार या उसका अभिहस्तांकित ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के उल्लंघन के लिये प्रतिकर देगा एवं ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस न्यायालय द्वारा राजस्थान भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। राजस्व (ग्रुप 6) विभाग अधिसूचना क्रमांक पं.1 (3) राज- 6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.14 के अनुसार, प्राइवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हेक्टर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हेक्टेयर है। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं। भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में नया भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 1 जनवरी 2014 से लागू होकर, उनके प्रावधानों के अनुसार ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं भूस्वामियों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। चूंकि राज्य सरकार की ओर से भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नहीं किया गया है, अतः प्रकरण में नए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचि प्रथम में भूमि धारकों को प्रतिकर के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम संख्या 1 से 6 के अन्तर्गत कुल प्रतिकर की गणना किस प्रकार की जायेगी, का क्रमवार उल्लेख किया गया है एवं उक्त अनुसूचि की क्रम संख्या 2 के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के कारकों 1 से 2, जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी पर आधारित होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे, क्रम संख्या 4 में भूमि से जुड़ी हुई सम्पत्तियों के निर्धारण एवं क्रम संख्या 5 में तोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख किया गया है।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 20 कि.मी. है एवं उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना

जिला कलेक्टर, पाली



क्रमांक प01(3)राज. 6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.06.2016 में उल्लेखित भूमि का गुणक, जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावेगा, वह 1.75 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एक्ट की अनुसूचि के प्रावधानों के अनुसार पेड़ पौधों व संपत्ति की कीमत को जोड़ा जाना है एवं धारा 30(1) के अनुसार ऐसी राशि की शत प्रतिशत तोषण की राशि होगी। प्रार्थी को राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु पट्टा 50 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया गया है, जिसके सहायक कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि चाही जाने से इस भूमि के खातेदार के सरफेस राईट का उल्लंघन होगा। जिसके लिये अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना आज्ञापक है। अतः प्रतिकर का निर्धारण निम्नानुसार सारणी के अनुरूप किया जाता है -



	खातेदार का नाम जिसका विवरण जमाबंदी में अंकित है।	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	डी.एल.सी. दर	राशि (कॉलम संख्या 3 x 5)	नगर पालिका से दूरी किमी में व उसके अनुसार गुणक		कुल राशि (कॉलम संख्या 6 x 8) रु.
							7	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1. इस्माइल पुत्र हंजा मेरात, निवासी ग्राम टूकड़ा तहसील जैतारण जिला पाली(राज.)	216/1	06 बीघा 14 बिस्वा	बारानी दोगम	118089	791196.3	25	1.75	1384593.52
B	योग								1384593.52
C	प्रभावित भूमि पर अवस्थित पेड़ों की मालियत								105000.00
D	अन्य संरचना (धोरा, तारबन्दी एवं कुंआ सहित)								153000.00
E	योग (कॉलम संख्या B + C + D)								1642593.52
F	तोषण 100 प्रतिशत ( कॉलम E के समान राशि )								1642593.52
G	कुल देय प्रतिकर राशि ( E + F )								3285187.05

अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि रूपये 33,61,187/- (अक्षरे सैतीस लाख इक्कीस हजार एक सौ सित्तयासी रूपये मात्र) अप्रार्थीगण के नाम का चैक बनाकर तहसीलदार जैतारण को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे। तहसीलदार जैतारण उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के सम्बंध में सन्तुष्टि के उपरान्त सम्बन्धित राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि बिलानाम (सिवायचक) माईनिंग लीज अंकित की जावें। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का उपयोग प्रार्थी इकाई को लीज अवधि तक प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत एवं राजस्थान

जिला कलेक्टर, पाली

भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(2) में वर्णित माईनिंग तथा उससे संबधित समनुषगी कार्यों (Subsidiary Purposes) के लिए ही करने का अधिकार होगा। भविष्य में राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि भुगतान में संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार जैतारण/प्रार्थी कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/3/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश चन्द जैन)

जिला कलेक्टर पाली  
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 60/2017

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड यूनिट पाली सीमेन्ट वर्क्स, जैतारण		1. इस्माइल पुत्र हंजा कौम मेरात निवासी टूंकडा तह. जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री मोहम्मद शरीफ काजी, अधिवक्ता प्रार्थी

-: संशोधित आदेश :-

दिनांक : 09.04.2019

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी०पी०सी० के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2019 के पेज संख्या 3 में प्रभावित पक्षकार को भुगतान हेतु कुल प्रतिकर राशि 32,85,187.05 रुपये निर्धारित किया गया है, इसके अगले चरण में प्रतिकर राशि 33,61,187/- (अक्षरे सैतीस लाख इक्कीस हजार एक सौ सित्तयासी हजार रुपये मात्र) अंकित किया है, जो विरोधाभाषी होने के कारण आदेश में संशोधन कराने का निवेदन किया।

इस पर पत्रावली एवं पारित आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 18.03.2019 के पेज संख्या 3 में मुआवजा निर्धारित किया गया है, उसमें वर्णित सारणी में कुल देय प्रतिकर राशि 32,85,187.05 रुपये निर्धारित की गई है। इस सारणी के अगले चरण में टंकण की त्रुटी से मुआवजा राशि 33,61,187/- (अक्षरे सैतीस लाख इक्कीस हजार एक सौ सित्तयासी हजार रुपये मात्र) अंकित हो गई है, जो संशोधन योग्य हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 152 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपील हाजा में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2019 के पेज संख्या 3 के चरण संख्या 2 में अंकित मुआवजा राशि "33,61,187/- (अक्षरे सैतीस लाख इक्कीस हजार एक सौ सित्तयासी हजार रुपये मात्र)" के स्थान पर "32,85,187/- (अक्षरे बत्तीस लाख पिच्चासी हजार एक सौ सत्तासी रुपये मात्र)" के रूप में संशोधित पढ़ा जावे। तदनुसार इस आदेश को आदेश दिनांक 18.03.2019 का आवश्यक भाग व अंग पढा व समझा जावे। इस संशोधित आदेश एवं मूल आदेश की प्रति तहसीलदार जैतारण एवं प्रार्थी कम्पनी को वास्ते पालना भिजवाई जावे।

संशोधित आदेश आज दिनांक 09.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)  
जिला कलेक्टर, पाली  
जिला कलेक्टर, पाली

